कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर जिला जगदलपुर

Email id : deo.jdp@gmail.com Phone Number & Fax No. : 07782-222286

//ज्ञापन//

क्रमांक / 8548 / स्था.–03 / नियुक्ति / 2017 जगदलपुर, दिनांक 20/12/2017

जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर बस्तर के अधीनस्थ संचालित जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, शास.कन्या शिक्षा परिसर, शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, शास. हाईस्कूलों में निम्नांकित पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित अर्हताधारी इच्छुक उम्मीदवारों से दिनांक 05.01.2018 अपरान्ह 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है, जिसमें आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक एवं तकनीकि योग्यता	वेतनमान	आयु	वर्गवार कुल रिक्त पद			
						अ. ज.	अ.ज. जा.	अ. पि.व.	अनारक्षित
01	डाटा एन्ट्री आपरेटर	7	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ डाटा एन्ट्री का 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा गति	5200–20200 +2400	18 से 35 वर्ष	1	3	1	2
02	स्टेनो ग्रेड–03 (हिन्दी शीघ्रलेखक)	01	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ डाटा एन्ट्री का 10000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा गति 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति	5200–20200 +2800	18 से 35 वर्ष	0	0	0	1

03	सहायक ग्रेड– 03	41	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ डाटा एन्ट्री का 5000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा गति	5200–20200 +1900	18 से 35 वर्ष	2	16	5	18
04	भृत्य	27	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – पूर्व माध्यमिक स्तर की (8वीं) परीक्षा उत्तीर्ण	4750–7440 +1300	18 से 35 वर्ष	3	8	6	10

नियम एवं शर्ते :–

1. आवेदक को बस्तर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. लिफाफे के उपर विज्ञापित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा। आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रत्येक पद के लिये पृथक पृथक आवेदन देना होगा।
3. चयन सूची एक वर्ष हेतु वैध रहेगा।
4. आवेदक का रोजगार संबंधी जीवित पंजीयन जिले के रोजगार कार्यालय में होना आवश्यक है।
5. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
6. उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु अंकसूची को स्वप्रमाणित (सत्यापित) छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।
7. अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
8. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र यदि आवेदन आरक्षित पद हेतु किया जा रहा है।
9. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय का अधिकार विभागीय चयन समिति को होगा।
10. विकलांग उम्मीदवार विकलांगता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण संलग्न करना होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत अनुसार ही विकलांगता मान्य की जावेगी।
11. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उम्मीदवारों को सेवा में लिया जा सकेगा।
13. अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे। निरस्त आवेदन पत्रों के लिये कोई पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

14. पुलिस वेरिफिकेशन की कार्यवाही के दौरान कोई भी अनियमितता ज्ञात होने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

15. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षावधि पर की जावेगी। इस मध्य संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

16. शासन द्वारा नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग को सभी संवर्ग में लाभ प्राप्त होंगे।

17. नियुक्ति, निर्धारित अर्हता, अन्य वांछित योग्यता के प्राप्तांक के सर्वोच्च अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा। ऐसे मेरिट सूची के 01 पद विरूद्ध 10 अभ्यार्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलावा पत्र प्रेषित की जावेगी।

18. अनुभव का लाभ शिक्षा विभाग (साक्षरता+रा.मा.शि.अ.+सर्व शिक्षा अभियान+जिला शिक्षा अधिकारी तथा स्कूलों) में ही कार्य करने के एवज में दिया जावेगा। जिस श्रेणी में कार्यरत हैं, (यथा तृतीय या चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्यानुभव का लाभ) उसी संवर्ग के लिये प्राप्त होगा।

आयु सीमा में छूट :–

आयु दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। उच्चतर आयु सीमा में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी :–

1. यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्षों तक की छूट दी जावेगी।

2. स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जावेगी। किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

4. भर्ती के अंतर्गत आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 01.01.2018 को 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्र./एफ 3–2/2002/1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2013 में दिये गये निर्देशानुसार सीधी भर्ती के पदों पर की जाने वाली आगामी भर्ती में केवल एक बार के लिये छ.ग. स्थानीय निवासियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट दी जाकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सी में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी किन्तु ऐसे छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुभव के लिये अंको का निर्धारण/नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

1. डाटा एन्ट्री आपरेटर/सहायक ग्रेड–03/स्टेनो ग्रेड–03, कक्षा 12वीं में प्राप्तांक का 40 अंक, विभागीय अनुभव का अधिकतम 40 अंक (03 वर्ष के समानुपात में) तथा कौशल परीक्षा के लिये 10 अंक, ग्रीन कार्ड धारी, खेल प्रमाण पत्र (राष्ट्रीय स्तर) आदि का अधिकतम 10 अंक देय होंगे।
2. चतुर्थ श्रेणी के लिये आठवीं परीक्षा के कुल प्राप्तांक का 50 अंक, विभागीय कर्मचारियों को ही अनुभव का 40 अंक (03 वर्ष के समानुपात में) ग्रीन कार्ड धारी, खेल प्रमाण पत्र (राष्ट्रीय स्तर) आदि का अधिकतम 10 अंक देय होंगे।

आवेदन पत्र जमा करने की विधिः–

आवेदन निर्धारित आवेदन प्रारूप को स्पष्ट रूप से भरते हुए वांछित प्रमाण पत्रों (दस्तावेज) की छायाप्रति जो स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित हो संलग्न करते हुए उम्मीदवार जिस पद के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ तथा 05 रूपये का डाक टिकट लगा खाली लिफाफा (9"x4") संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र डाक द्वारा अंतिम तिथि दिनांक 05.01.2018 सायं 5:30 बजे तक ही स्वीकार किये जावेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं डाकघर के माध्यम से समय–सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर 494001 के पते पर निर्धारित समयावधि तक स्वीकार्य होगें। इसमें किसी भी प्रकार से कमियां/खामियां होने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय जिला बस्तर द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी
बस्तर जिला जगदलपुर

—:: आवेदन पत्र का प्रारूप ::—

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
बस्तर जिला, जगदलपुर

विषय :— ....पद के लिये आवेदन ।

1. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. लिंग (महिला / पुरूष) : ....
4. जन्मतिथि (अंकों में) : ....
5. दिनांक 01.01.2018 को आयु : वर्ष.............माह.............दिन..............
6. जाति : ....
7. वर्ग (अजजा / अजा / अपिव / अनारक्षित) : ....
8. जाति (वर्ग) अनुविभागीय अधिकारी (रा0) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें ।
9. विवाहित / अविवाहित : ....
10. जीवित संतानों का विवरण : ....
11. पूर्ण स्थायी पता : ....
....
12. पत्र व्यवहार का पूरा पता : ....
13. दूरभाष / मोबाईल नम्बर (यदि हो तो) : ....
14. शैक्षणिक योग्यता की जानकारी (पद की न्यूनतम योग्यता से शुरू करें)

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. / संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15. अन्य तकनीकि अर्हताएं : ....

16. अनुभव का विवरण स्कूल शिक्षा विभाग के अधीनस्थ संस्था में कार्यरत (संबंधित संवर्ग में कार्यरत अनुभव. तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद में ही आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा जारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) ही मान्य होंगे । : ....
....
....
....

17. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रं. एवं दिनांक : ....

18. क्या आवेदक शासकीय / अर्धशासकीय / स्वशासी संस्था में सेवारत है ? (यदि हां तो कार्यालय का विवरण दिया जावे एवं कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जावे) : ....

19. क्या आवेदक के विरूद्ध दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने / न्यायालय में लंबित है अथवा किसी न्याय से निराकृत हो चुका है ? : ....
....

20. संलग्न अभिलेखों (अभिप्रमाणित) की सूची : ....
....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

टीप :– शैक्षणिक योग्यता, तकनीकि दक्षता, जन्मतिथि, मूल निवास, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, अनुभव संबंधी अंकसूची व प्रमाण पत्र इत्यादि की अभिप्रमाणित (सत्यापित) प्रतियां संलग्न की जावे इसके अतिरिक्त 9"X4" साईज का लिफाफा टिकट लगा, स्वयं का पता लिखा हुआ, संलग्न किया जावे बिना लिफाफा के आवेदकों को कौशल / लिखित परीक्षा की सूचना नहीं भेजा जावेगा।

स्थान :– ....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक :– ....

(नाम एवं पूर्ण पता)